न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी— सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

दिनांक 26.07.2021

प्रकरण संख्या— 155 / 2019

उनवान

भेरूलाल पिता हीरालाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर
.................वादी

।। बनाम ।।

1. सुरेश पिता हीरालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर
2. कमलेश पिता हीरालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर
3. दिनेश पिता हीरालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर
4. जमना पुत्री हीरालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर
5. ज्ञानी पत्नि हीरालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर
6. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

.........प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित— श्री प्रवीण जोशी वकील वादी

उपरोक्त अनवान में वादी का वाद पत्र हस्ब आदेश 07 नियम 01, 02 जा.दी. के तहत नियमानुसार सादर प्रस्तुत है :—

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम रेवलिया खुर्द पटवार हल्का [illegible] खुर्द तहसील भदेसर की खाता संख्या 141 पर दर्ज आ.नं. 658 रकबा [illegible] आ.नं. 659 रकबा 0.22 हैक्टर, आ.नं. 661 रकबा 0.22 हैक्टेयर, आ.नं. 662 रकबा [illegible] आ.नं. 664 रकबा 0.39 हैक्टेयर, आ.नं. 665 रकबा 0.24 हैक्टैयर,आ.नं. 666 रकबा [illegible] हैक्टेयर, आ.नं. 667 रकबा 0.03 हैक्टेयर, आ.नं. 668 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आ.नं. 669 रकबा 0.23 हैक्टेयर, [illegible] 670 रकबा 0.07 हैक्टैयर किता 11 कुल रकबा 2.59 हैक्टर रेकार्ड है साक्ष्य में नकल [illegible]बंदी संवत 2070—2073 व नक्शा ट्रेस, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, प्रमाण पत्र ग्राम पंयाचत रेवलिया खुर्द संलग्न वाद पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:51:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला—चित्तौड़गढ़

2. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित खाता संख्या 141 पर दर्ज आराजीयात में वादी के पिता हीरालाल पिता कालू का 1/6 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादी के पिता हीरालाल पिता कालू की मृत्यु की पश्चात ग्राम पंचायत के द्वारा विरासत के नामान्तरण की कार्यवाही की गई जिसमें वादी के मुंह बोलते नाम पप्पू पिता हीरालाल के नाम विरासत का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम सभी सरकारी दस्तावेजों में भेरूलाल पिता हीरालाल है। वादी के नाम की त्रुटि के कारण वादी को राजकीय योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है और वादी अपनी आराजीयात को उन्नत करने के लिए ऋण भी नहीं ले पा रहा है इसलिए राजस्व रेकार्ड में हुए त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर खाता संख्या 141 के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम पप्पू पिता हीरालाल के बजाय भेरूलाल पिता हीरा लाल अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं तदर्थ यह वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश है।

3. यह कि वादी को उक्त त्रुटि की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। वर्तमान में सहकारी समितियों द्वारा किसानों को ऋण योजना से लाभान्वित किया जा रहा है इस हेतु वादी ने भी आवेदन भरा जिसमें खाते की नकल की आवश्यकता होने पर वादी ने पटवार हल्का से आराजीयात की जमाबंदी की नकल दिनांक 11.07.2019 को प्राप्त की तो राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटि की जानकारी हुई जानकारी होते ही यह वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती हेतु पेश है।

4. यह कि बिनाय वाद पत्र दिनांक 11.07.2019 को पटवार हल्का से जमाबंदी की नकल प्राप्त करने से पैदा होकर हर दिन जारी है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि :–

कि वाद पत्र कि चरण संख्या 01 में वर्णित खाता संख्या 141 कि आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम पप्पू पिता हीरालाल बजाय भेरूलाल पिता हीरा लाल अंकित किया जाकर इसी अनुसार वादी के हक में खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती की आज्ञप्ति पारित फरमाई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] किया गया बरोज पेशी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित [illegible] कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारित किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:51:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई जिन्होंने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

पत्रवाली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम रेवलिया खुर्द प0ह0 रेवलिया खुर्द के खाता संख्या 141 के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम पप्पू पिता हीरालाल बजाय भेरूलाल पिता हीरा लाल ब्राहमण दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:51:17 IST
Reason: SelfAttested